न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :- **322/2024**

GCMS NO. 2024/590

पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 6 सुभाष गारमेन्ट कपील मण्डी नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना राज.

..................वादिया

— बनाम —

1. रघुवीर प्रसाद पुत्र हरिनारायण अग्रवाल
2. रविशंकर अग्रवाल पुत्र हरिनारायण अग्रवाल
3. रामशरण अग्रवाल पुत्र हरिनारायण अग्रवाल
   समस्त जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 6 कपील मण्डी नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

<u>वाद – घोषणात्मक नाम दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं</u>
<u>धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

अधिवक्ता वादीया – श्री रामनरेश सिंह सैनी

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक :– 02.12.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादीया की ओर से पेश किया गया है कि यह कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 हाल खाता सं. 440 के हाल ख. नं. 365 रकबा 0.72 हैक्टर, ख. नं. 366 रकबा 0.72 हैक्टर, ख. न. 382 रकबा 0.54 हैक्टर, ख. नं. 383 रकबा 0.70 हैक्टर, ख. नं. 384 रकबा 0.88 हैक्टर, ख. नं. 385 रकबा 0.64 हैक्टर, ख. नं. 387 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 4.39 हैक्टर की वादिया संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादिया का सही नाम पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल है जो वादिया के सभी दस्तावेजात आधार [illegible]कार्ड, वोटर आई डी व बैंक खाता आदि में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया का नाम पार्वती देवी पत्नी रतन लाल दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादिया व उसके पति का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम पार्वती अग्रवाल [illegible] है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादिया व उसके पति का नाम गलत दर्ज होने [illegible] वादिया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में वादिया व उसके पति का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादिया को राज्य सरकार की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:02:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिये वादिया को अपना नाम दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 हाल खाता सं. 440 के हाल ख. नं. 365 रकबा 0.72 हैक्टर, ख. नं. 366 रकबा 0.72 हैक्टर, ख. नं. 382 रकबा 0.54 हैक्टर, ख. नं. 383 रकबा 0.70 हैक्टर, ख. नं. 384 रकबा 0.88 हैक्टर, ख. नं. 385 रकबा 0.64 हैक्टर, ख. नं. 387 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 4.39 हैक्टर में दर्ज वादिया का नाम पार्वती देवी पत्नी रतन लाल हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 3 की और से साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया साथ ही प्रतिवादी सं. 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2109 दिनांक 14.08.2025 से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादिया की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. नया 440 ग्राम कांकरिया, वादिया के आधार कार्ड एवं बैंक पास बूक की प्रतिलिपि पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2109 दिनांक 14.08.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादिया पार्वती देवी पत्नी रतन लाल के स्थान पर पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल दुरूस्त किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता सं. 440 में दर्ज वादिया का नाम "पार्वती देवी पत्नी रतन लाल" हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम **"पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.12.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:02:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 322 / 2024 GCMS No. – 2024/590
निर्णय दिनांक :– ....

पार्वती अग्रवाल **– ब ना म –** रघुवीर प्रसाद आदि

दावा बाबत घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती

वादी की ओर से श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 04 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख............................ को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

" अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता सं. 440 में दर्ज वादिया का नाम "पार्वती देवी पत्नी रतन लाल" हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादिया का नाम "पार्वती अग्रवाल पत्नी रतन लाल अग्रवाल" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 2-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:02:10 IST
Reason: SelfAttested